

प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 30.10.2026

#OPERATION CONVICTION

महिला अपराध के मामले में इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

1. थाना-सिविल लाइन्स

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0न्याया0 द्वारा महिला अपराध के मामले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50,000 /-रु0अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन्स पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे /एफटीसी-1 इटावा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50,000 /- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी के घर के बाहर बने बाडे में घुसकर वादी की बहन के साथ गलत कार्य करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 314/2020 अंतर्गत धारा 452/376 भादवि में पंजीकृत किया गया जिसको दौराने विवेचना धारा 457/376 भादवि में तरमीम किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी** द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना सिविल लाइन्स पुलिस टीम, पैरोकार का0 शिवम नायक व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरूप आज दिनाँक 30.10.2026 को मु0अ0सं0 314/2020 अंतर्गत धारा 457/376 भादवि में मा0 न्याया0 एडीजे /एफटीसी-1 इटावा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **किशनपाल उर्फ गुज्जर पुत्र धर्मपाल नि0 सराय दनायत थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा।**